न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.116 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 180)	14.10.2024	11.08.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. भोमा पुत्र गंगाराम जाति भाट निवासी पटपड़िया, तहसील तालेडा
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–
1 / 1. समदा आ. भोमा भाट नि. पटपडिया (**मृतक** जर्ये कायम मुकामान)
1 / 1 / 1. मदन आ. समदा जाति भाट नि.पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 2. प्रभू आ. समदा जाति भाट नि0 पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 3. बन्टी आ. समदा जाति भाट नि.पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 4. कालीबाई पुत्री समदा भाट नि. पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 5. जाटाबाई पुत्री समदा भाट नि. पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 6. बायाबाई पुत्री समदा भाट नि. पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 7. राणूबाई पुत्री समदा भाट नि. पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 1 / 8. टल्लीबाई पुत्री समदा भाट नि. पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा

1 / 2.शम्भूलाल आ.भोमा भाट नि.पटपडिया (मृतक जर्ये कायम मुकामान)
1 / 2 / 1. सुरेश आ.शम्भूलाल भाट नि0 पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 2 / 2. बबलू आ.शम्भूलाल भाट नि0 पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 2 / 3. सुमित्रा पुत्री शम्भूलाल भाट नि. पीपल्दा धाकडान तह. तालेडा
1 / 2 / 4.ड़गलीबाई पत्नी शम्भूलाल भाट नि.पीपल्दा धाकडान त. तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी भोमा आ. मंगाराम को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1007/732 रकबा 1.3597 हैक्टेयर वाकेग्राम लाम्बाखोह आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 116/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/180 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुके है, किन्तु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण या उनकी ओर कोई अधिवक्ता के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 14.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि में पत्थर रलाव (वेस्ट मेटेरियल) पड़ा हुआ है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि भोमा आ. मंगाराम कौम भाट निवासी पटपडिया को दिनांक 07.11.1977 को भूमि खसरा सं. 732 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा वाकेग्राम लाम्बाखोह का आवंटन किया गया था। ग्राम लाम्बाखोह की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1007/732 रकबा 1.3597 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव

जिला कलेक्टर; बून्दी

नायब तहसीलदार डाबी अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसानों का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पर पत्थर रलाव (वेस्ट मेटेरियल) पड़ा हुआ है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2022 संवत् 2079 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला अभिलेखगार से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली में केवलमात्र एक पृष्ठ ''आवंटन आदेश'' है। पत्रावली पर आवंटन के बाद आवंटी को कब्जा दिये जाने बाबत दखलनामा उपलब्ध नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर पत्थर रलाव (वेस्ट मेटेरियल) पड़ा होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भोमा आ. मंगाराम कौम भाट निवासी पटपडिया को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 732 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1007/732 रकबा 1.3597 हैक्टेयर) वाकेग्राम लाम्बाखोह दिनांक 07.11.1977 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिकमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर * बून्दी (राज.) * सत्यमेव जयते